न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 17 / 2023

बउनवान

योगेन्द्र आयु 47 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा निवासी पचेलखुर्द, तहसील अन्ता जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

<u>अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :– 1. श्री अरविन्द बघेरवाल, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

<u>निर्णय दिनांक– 27.03.2024</u>

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 06.02.2023 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम पचेलखर्द तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 0.32 है., किस्म–चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर वार्षिक लगान का 50 गुना शास्ति आरोपित कर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेहीं का अवसर नही दिया तथा बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही है। अपीलांट की ओर कोई सरकारी ताबान बकाया नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार को बहस हेतु प्रकरण नियत किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है और ना ही ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:11 IST
Reason: SelfAttested

है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.02.2023 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2078 में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 56/2022 निर्णय दिनांक 11.03.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 528 रकबा 0.32 है0 किस्म चारागाह ग्राम पचेलखुर्द पर सम्वत् 2078 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 56/2022 में पारित निर्णय दिनांक 11.03.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न पूर्व पत्रावली की छायाप्रति से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 178/22–23 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.04.29 10:05:11 IST
Reason: SelfAttested